राजस्व वाद संख्याः–33/2019
श्रीमती जडावली बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः–08.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)

मु0नं0 33/2019

01. श्रीमती जडावली देवी बेवा श्योचन्द, आयु 80 वर्ष,
02. आशाराम पुत्र स्वर्गीय श्योचन्द, आयु 60 वर्ष,
03. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय श्योचन्द, आयु 45 वर्ष,
04. श्रीमती चन्द्रावती बेवा लीलाधर, आयु 40 वर्ष,
समस्त जातियान गुर्जर, समस्त निवासीगण ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०

––वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

––––––प्रतिवादी

उपस्थितः– वादीगण

दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी गण ने घोषणार्थ , रिकार्ड दुरूस्ती , स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 395, रकबा 1.20 है० वादीगण की खातेदारी, काश्तकारी की वादीगण के पूर्वज श्योचन्द पुत्र चिमनाराम की जरिये विकय पत्र क्रयशुदा कृषि भूमि है, जिसे वादीगण के पूर्वज श्योचन्द ने भंवरसिंह, रिसाल सिंह पुत्रान दुर्जनसाल सिंह, जातियान राजपूत, निवासी ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19 जुलाई, 1976 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 19.07. 1976 के आधार पर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज के हक में विधिवत नामान्तरकरण दर्ज किया गया, उक्त वर्णित कृषि भूमि को दावा हाजा में आगे जायदाद जेरे बहस अंकित किया गया है, वास्ते मुलायजा जमाबन्दी सम्वत 2026 लगायत 2028, तथा जमाबन्दी सम्वत 2030 लगायत 2033, फोटो प्रति विक्रय–पत्र दिनांक 19.07. 1976 लफ दावा हैं।

यह कि वादीगण के पूर्वज द्वारा खरीदशुदा भूमि की चतुर्थ सीमाएं निम्न प्रकार हैंः–वाके ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं–राज० में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 395 स्थित है जिसके उत्तर में जोहड़ की भूमि, दक्षिण में खसरा नम्बर 399 की भूमि, पूर्व में खसरा नम्बर 397 की भूमि एवं पश्चिम में खसरा नम्बर 394 की भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह कि उक्त वर्णित जायदाद जेरे बहस को क्रय किए जाने के पश्चात उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक, स्वामी होकर दिनांक 19.07.1976 से शान्तीपूर्वक बतौर भू–स्वामी काबिज होकर उक्त भूमि को निर्वाध तौर पर अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे हैं।

.यह कि वादीगण के पूर्वज श्योचन्द का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके द्वारा खरीद की गई उपरोक्त वर्णित आराजी का नामान्तकरण वादीगण के हक में हो चुका है तथा वादीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

यह कि वादीगण का पूर्वज श्योचन्द अनपढ एवं काश्तकार था जिसको उक्त भूमि के बाबत रिकार्ड की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन राजस्व कर्मचारीगण द्वारा उक्त जायदाद जेरे बहस राजस्व कर्मचारीगण ने सहवन से, भूलवश वादीगण के पूर्वज द्वारा खसरा नम्बर 395 की भूमि का क्षेत्रफल 1.10 हैक्टेयर अंकित कर दिया जबकि वास्तव में वादीगण के पूर्वज की खरीदशुदा भूमि का क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारीगण द्वारा वादीगण की भूमि का रकबा 1.10 गलत दर्ज कर दिया जो कि गलत एवम् काबिले दुरुस्ती है।

यह कि वादीगण सीधे व सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं तथा वादीगण को जायदाद जेरे बहस को आधुनिक तरीक पर काश्त करने व भूमि का सुधार करने हेतु वादीगण ने दिनांक 10.03.2019 को स्थानीय बैंक से भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु, स्थानीय बैंक के कर्मचारीगण से सम्पर्क किया तथा दिनांक 16.10.2018 को हल्का पटवारी से जायदाद जेरे बहस के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारीगण ने सहवन से, भूलवश जायदाद जेरे बहस राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की भूमि का रकबा 1.20 हैक्टेयर के स्थान पर 1.10 हैक्टेयर दर्ज कर दिया है जिस पर वादी ने प्रतिवादी के समक्ष जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु आग्रह किया तो प्रतिवादी ने जायदाद जेरे बहस के वर्तमान गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी के मातहत हल्का पटवारी ने वादीगण को ऐलानियाँ धमकी दी कि वह जायदाद जेरे बहस के उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वादीगण के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 394 में स्थित रास्ते को कटानी रास्ता दिखाकर वादीगण की 10 भूमि खसरा नम्बर 394 में भरवा देगा जबकि प्रतिवादी व उसके मातहत को ऐसा करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है तथा वर्तमान परिस्थिती में प्रतिवादी को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाना लाजमी है कि प्रतिवादी खसरा नम्बर 395 का रकबा विक्रय पत्र दिनांकित 19.07.1976 के अनुसार 1.20 हैक्टेयर अपने रिकार्ड में दुरूस्त करे, जायदाद जेरे बहस के गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वादीगण की कृषि भूमि पर से जबरन बेदखल कर नाजायज तौर पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल पैदा न करें तथा मामून व बाज रहें।

यह कि वादीगण अपनी कब्जा काश्त की भूमि को आधुनिक तरीके से काश्त करने हेतु स्थानीय बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होने पर वादीगण द्वारा सम्बन्धित विभाग से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने व वादीगण को जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड के गलत होने का इल्म होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष जायदाद जेरे बहस का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु अनुरोध करने पर प्रतिवादी द्वारा इंकार करने व प्रतिवादी के मातहत द्वारा गलत राजस्व रिकार्ड की आड में वादीगण को उपरोक्त प्रकार से धमकी दिए जाने पर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु व उक्त जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने की घोषणा हेतु वादी को यह वाद–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह कि वादीगण के पूर्वज के हक में तहरीर व तकमील किए गए विक्रय–पत्र दिनांक 19.07.1976 की रूह से वादीगण की भूमि का रकबा 1.20 हैक्टेयर है जो की राजस्व कर्मचारीगण द्वारा भूलवश, सहवन से 1.10 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया है तथा उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 19.07.1976 की रूह से जायदाद जेरे बहस का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा जायदाद जेरे बहस में उपरोक्तानुसार रकबा 1.20 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा यही कानून का तकाजा है।

यह कि बिनाय दावा वादीगण को दिनांक 16.10.2018 को जायदाद जेरे बहस के गलत राजस्व रिकॉर्ड का इल्म होने व प्रतिवादी द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार करने व प्रतिवादी के मातहत हल्का पटवारी द्वारा वादीगण की कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तीपूर्वक कब्जे में दखल पैदा करने की ऐलानियाँ धमकी दिए जाने के कारण हासिल है जो कि निरन्तर जारी है।

यह कि पक्षकारान व उक्त कृषि भूमि ग्राम झेरली के होने के कारण न्यायालय श्रीमान् जी को यह वाद–पत्र सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

यह कि वादीगण ने अपने वाद–पत्र में रिकार्ड दुरूस्ती की सिद्धी चाही है इसलिए राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा को प्रतिवादी के रूप में फरीक दावा बनाया गया है तथा जिस हेतु अं० धा० 80 सी०पी०सी० नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है किन्तु दावा हाजा अरजेन्ट नेचर का है तथा उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगने का पूर्ण अन्देशा है जिस से वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा हाजा की मन्शा ही खत्म हो जाती है जिस हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष अलग से गुजारा गया है जो लफ दावा है ।

दादरसी:–

यह कि उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 19.07.1976 के आधार पर कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 395, रकबा 1.20 हैक्टेयर स्थित मौजा वाके राजस्व ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० के वर्तमान रकबा 1.10 गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड रकबा 1.20 हैक्टेयर दर्ज किया जाकर 1.20 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। दिनांक 02.05.2024 को तहसीलदार पिलानी से मौका एवं जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी करने को आदेशित किया गया एंव पत्रावली वास्ते इंतजार मौका जांच रिपोर्ट हेतु दिनांक 24.05.2024 नियत की गयी । आज पत्रावली नियत दिनांक 08.04.2025 को पेश हुई । जिसमें वादीगण अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय करने का निवेदन किया। उक्त पत्रावली एवं जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद एवं वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात बहस पर मनन किया गया। मनन पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का ध्यान पूर्वक अवलोकन व बहस वादीगण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजो एवं तहसीलदार पिलानी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 एवं शपथ पत्र से यह साबित होता है कि वादीगण विक्रय–पत्र दिनांक 19.07.1976 के आधार पर कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 395, रकबा 1.20 हैक्टेयर स्थित मौजा वाके राजस्व ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० के वर्तमान रकबा 1.10 गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर

ब्रेण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड रकबा 1.20 हैक्टेयर दर्ज किया जाकर 1.20 हैक्टेयर का खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है । इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण विक्रय–पत्र दिनांक 19.07.1976 के आधार पर कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 395, रकबा 1.20 हैक्टेयर स्थित मौजा वाके राजस्व ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० के वर्तमान रकबा 1.10 गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल खसरा नम्बर 419 रकबा 0.67है0 में से 0.10 है0 रकबा कम कर खसरा संख्या 395 में 0.10 है0 दुरूस्त कर रकबा 1.20 हैक्टेयर दर्ज किया जावे एवं खसरा संख्या 395 रकबा 1.20 हैक्टेयर का खातेदारी अधिकारो की वादीगण के हक में घोषणा की जाती है। खातेदारी अधिकारो से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करें। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025...... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–33/2019
श्रीमती जडावली बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः– 08.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–
श्रीमती सुमन देवी ।। (आर.ए.एस.)

मु0नं0 33/2019
निर्णय दिनांकः– 08.04.2025

श्रीमती जडावली बनाम राजस्थान सरकार
दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी ।। उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 395, रकबा 1.20 हैक्टेयर स्थित मौजा वाके राजस्व ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० के वर्तमान रकबा 1.10 गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल खसरा नम्बर 419 रकबा 0.67 है0 में से 0.10 है0 रकबा कम कर खसरा संख्या 395 में 0.10 है0 दुरूस्त कर रकबा 1.20 हैक्टेयर दर्ज किया जावे एवं खसरा संख्या 395 रकबा 1.20 हैक्टेयर की खातेदारी खातेदारो को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में घोषणा की जाती है। खातेदारी अधिकारो से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करें। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़